Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 2 | ISSN : 2582-0095

गरीबी निवारण हेतु नीतियाँ : विश्लेषणात्मक समीक्षा

डॉ.मनमोहन प्रसाद पाण्डेय

भूतपूर्व शोध छात्र,

वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग,

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद,

उत्तर प्रदेश,भारत।

सारांश– भारत एक कल्याणकारी राज्य है जो देश के सभी नागरिकों और विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण एवं उनके सामाजिक सुरक्षा के प्रति वचनबद्ध है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उनमें वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूलभूत अधिकार और अनुच्छेद 38–39 और 6, जनकल्याण के प्रति राज्य की वचनबद्धता निरूपित करते हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर सरकार ने समाज के उपेक्षित और कमजोर तबकों जैसे अनुसूचित जाति/जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों, वृद्धों, बेघर बच्चों के कल्याण एवं उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए समय–समय पर विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए नीतियां बनाती रही है।

मुख्यशब्द– कल्याणकारी, राज्य, देश, गरीबी, नागरिक, समाज, कमजोर, अधिकार, सिद्धान्त।

मानव जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है कि उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं को उपलब्ध संसाधनों के समुचित प्रबन्ध द्वारा पूरा किया जाए। इस बात को दृष्टिगत रखकर पिछले कई दशकों से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी निवारण हेतु अनेक योजनाएं बनायी गई तथा बलवती रूप से इनका संचालन भी किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जहाँ विभिन्न देश आन्तरिक स्तर पर अपने यहाँ गरीबी निवारण के लिए अनेक योजनाएं चला रहे हैं, वहीं कई अन्तर्राष्ट्रीय संगठन भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इस समस्या के निदान हेतु सतत् प्रयत्नशील हैं। किसी भी राष्ट्र को 'समग्र विकास' की श्रेणी में तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कि वहाँ की लगभग सम्पूर्ण जनसंख्या सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सम्पन्न न हो जाय। भारत जैसे विकासशील देश जहाँ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की बड़ी संख्या है, तब तक विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ सकेंगे, जब तक कि इन परिवारों की गरीबी दूर न हो जाय।

इस महत्वपूर्ण समस्या को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा गरीबी निवारण के लिए समय–समय पर अनेक नीतियों का निर्माण किया गया। साथ ही भारत सरकार द्वारा समय–समय पर बनाई गई नीतियों का क्रियान्वयन विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा किया जाता रहा है तथा प्राप्त परिणामों की समीक्षा कर बनाई गई नीतियों में समय–समय पर संशोधन भी किए जाते रहे है ताकि देश में हासिए पर रहने वाले लोगों का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक जीवन सुखमय हो सके और ये लोग विकास कीु मुख्य धारा से जुड़ सकें।

आवास नीति

राष्ट्रीय स्तर पर निराश्रितों को आश्रय प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा आवासीय योजनाओं का संचालन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आवासों की उपलब्धता में कुछ सुधार रेखांकित किया गया किन्तु इस परिणाम को बहुत संतोषजनक नहीं माना जा सकता। भारत में सार्वजनिक आवास का प्रावधान सन् 1950 में सामाजिक आवास योजना के साथ शुरू किया गया। वर्ष–वार सामाजिक आवास योजनाओं का विवरण सारणी 1 में दिया गया है।

सारणी 1: भारत में सामाजिक आवास योजनाएं – 1950

आवासीय योजनाएं	आवास योजना का परिचय वर्ष
सहायता प्राप्त योजना	1952
निम्न आय समूह आवासीय योजना	1954
बागान श्रमिक योजना	1956
ग्रामीण आवास परियोजना	1957
मध्य आय आवास योजना	1959

स्रोत : भारत सरकार, योजना आयोग, 1983, टास्क बल, आवास और ग्रामीण गरीबी एवं मलिन बस्ती सुधार।

सन् 1974 में सरकार ने बागान श्रमिकों से सम्बन्धित आवासीय योजनाओं को छोड़कर अन्य सभी आवासीय योजनाओं को राज्य सरकारों को हस्तान्तरित कर दिया था। योजना आयोग के अध्ययन दल ने पाया कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में चलायी गयी आवासीय योजनाओं से अब तक केवल मध्यम व उच्च आय वर्ग के परिवारों को ही लाभ हुआ। ग्रामीण भारत में आवास के माध्यम से ग्रामीण गरीबों के अच्छे जीवन को सुनिश्चित

करने में केन्द्र व राज्य, दोनों की बहुत कम भूमिका थी। इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार ने राष्ट्रीय आवास नीति 1994 प्रतिपादित किया।[1]

कमजारे वर्गो हेतु राष्ट्रीय एजेण्डा

शासन का राष्ट्रीय एजेण्डा सभी कमजोर वर्गों की जरूरतों पर विशेष जोर देने के साथ–साथ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गयी। चिन्हित क्षेत्रों के लिए विशेष आवास योजना बनाई गयी। इस विशेष कार्य योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 2 लाख अतिरिक्त मकानों का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस योजना के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1.3 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य निश्चित किया गया।[4]

ग्रामीण आवास के लिए सरकारी योजनाएं

सन् 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार द्वारा ग्रामीण आवास की समस्या पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए एक आवासीय कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। यह कार्यक्रम 1960 तक चला। सन् 1957 में सामुदायिक विकास आन्दोलन के अन्तर्गत ग्रामीण आवास योजना को इसके अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया। ये सभी कार्यक्रम अधूरे मन से प्रारम्भ किये गये। सन् 1972–73 में लोक सभा की अनुमान समिति की 37वीं रिपोर्ट में यह कहा गया कि यद्यपि भारत की आबादी का 83 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है और ग्रामीण आबादी का लगभग 73 प्रतिशत जनसंख्या खण्डहर या असन्तोषजनक कच्चे ढांचे के मकानों में रहती है। फिर भी सरकार द्वारा ग्रामीण आवास की समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में संचालित ग्रामीण आवास कार्यक्रमों को फ्लो चार्ट में दिखाया गया है।

1998–99 के बी0पी0एल0 सर्वेक्षण के आधार पर ग्रामीण उत्तर प्रदेश में सभी ग्रामीण परिवारों की तुलना में 36.94 प्रतिशत बी0पी0एल0 परिवार थे। इन बी0पी0एल0 परिवारों में से अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिशत 43.87 था। इनमें सबसे अधिक 18.2 प्रतिशत गरीब परिवार के रूप में सीमान्त किसान और 15.1 प्रतिशत कृषक मजदूर थे। बी0पी0एल0 सर्वेक्षण 1998–99 में कम परिवारों को आश्रयहीन पाया गया। 70.47 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के पास कच्चा मकान था।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आवास कार्यक्रम

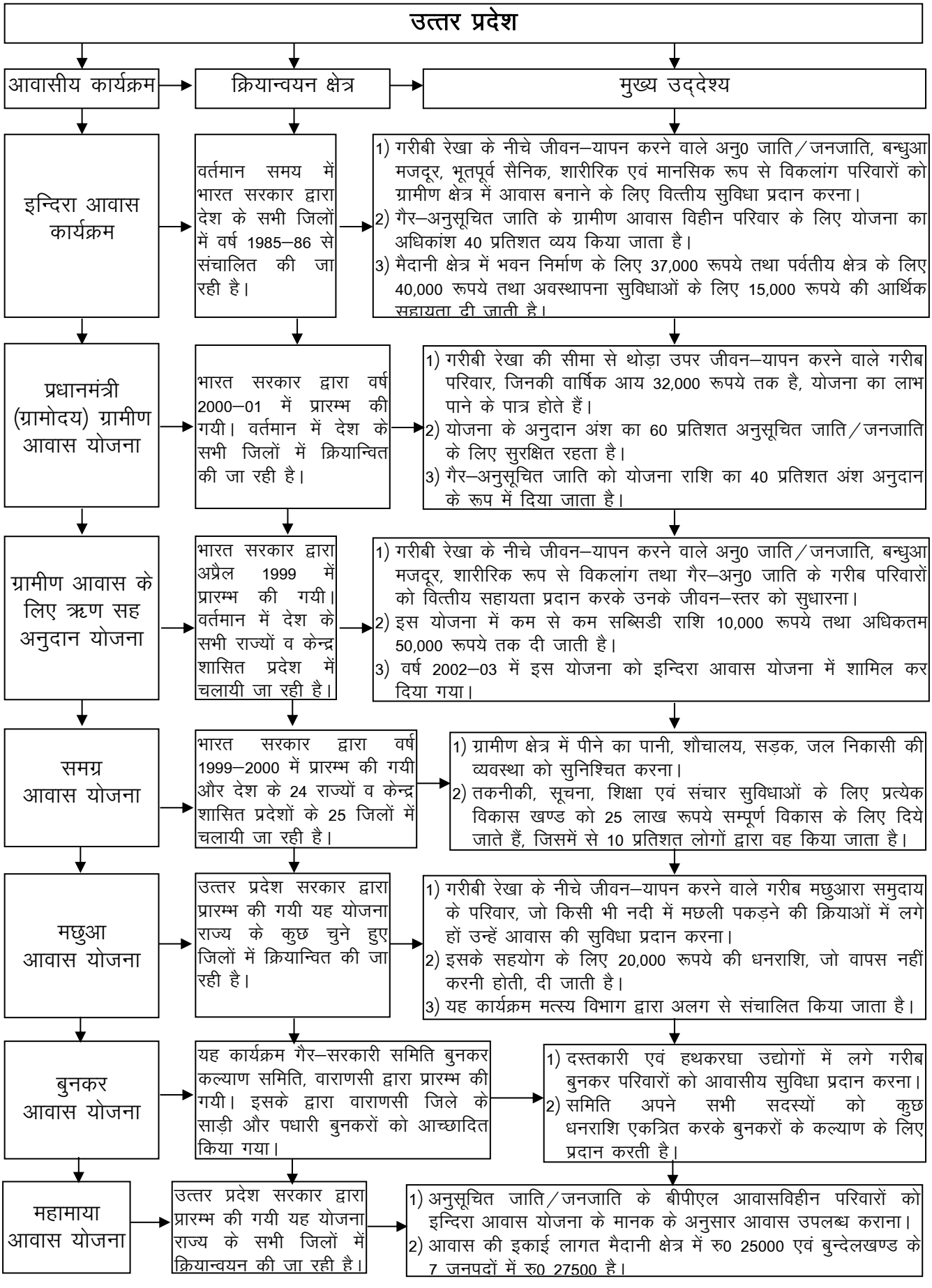

सारणी 2 उत्तर प्रदेश में गरीबी, व्यवसाय और आवास की स्थिति

सूचक	परिवारों की श्रेणियॉ	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
गरीबी	कुल ग्रामीण परिवार	19397067	100.00
	कुल बी0पी0एल0 परिवार	7164992	36.94
	कुल बी0पी0एल0 अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार	3143518	43.87
व्यवसाय	लघु कृषक	9508360	4.90
	सीमान्त कृषक	3528597	18.20
	ग्रामीण दस्तकार	580507	3.00
	कृषि श्रमिक	2923576	15.10
आवास	आवासहीन परिवार	86865	1.21
	कच्चे मकानों के स्वामी	5049678	70.94
	अर्द्धपक्के मकानों के स्वामी	1733594	24.19
	राज्य में कुल आवासीय आवश्यकता	6870131	95.88
	आवासीय कार्यक्रमों का घरों में कवरेज	945412	13.76

नोट : उपरोक्त आंकड़े बी0पी0एल0 सर्वेक्षण 1998–99 पर आधारित हैं।

स्रोत : कार्यालय, आयुक्त, ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।

सरकार द्वारा समर्थित आवासीय योजनाओं में इन्दिरा आवास योजना वर्ष 2001–04 के दौरान अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अत्यधिक सफल रही है। पिछले तीन वर्षों में इन्दिरा आवास योजना की उपलब्धि दर 98.3 प्रतिशत थी। इन्दिरा आवास योजना की उपलब्धि दर विभिन्न वर्षों में भिन्न–भिन्न थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की उपलब्धि दर सभी तीन वर्षों (2001–04) में 94.6 प्रतिशत थी। यह उपलब्धि दर वर्ष में विविध थी, लेकिन पिछले तीन वर्षों (2001–04) में यह दर अत्यधिक ऊंची (लक्ष्य के सापेक्ष 137.7 प्रतिशत) थी। वर्ष 2001–04 के दौरान इन्दिरा आवास योजना की वित्तीय उपलब्धि दर (लक्ष्य के प्रतिशत के रूप में) 103.9 प्रतिशत थी। इसका आशय यह है कि योजना धनराशि का अधिक से अधिक राशि लक्ष्यों पर व्यय की जाती है।

सारणी 3: उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का भौतिक प्रगति

वर्ष	इन्दिरा आवास योजना				प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना			
	उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
2001-02	171944	99.7	172423	100.0	32193	77.7	41442	100.0
2002-03	1771190	100.2	166800	100.0	19034	86.0	22124	100.0
2003-04	190950	95.4	200224	100.0	29799	134.7	22124	100.0
2004-05	540084	98.3	549452	100.0	81026	94.6	85690	100.0

स्रोत : कार्यालय, आयुक्त, ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।

खाद्य सुरक्षा से सम्बन्धित नीति

सभी लोगों को समय पर पर्याप्त मात्रा में भोजन (खाद्यान्न) उपलब्ध कराना है जिससे वे सक्रिय व स्वस्थ जीवन–यापन कर सकें और यह किसी भी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है। भोजन मानव जीवन के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता है इसके बिना मानव जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। सभी लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने तीन खाद्य आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अपनाए यथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समेकित बाल विकास कार्यक्रम व भोजन कार्यक्रम आदि। इन तीनों कार्यक्रमों को सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सभी लोगों को खाद्यान्न मुहैया कराती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों का भण्डार रखती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर आवश्यक उपभोग की वस्तुएं उपलब्ध कराना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है जिससे उपभोक्ताओं को वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतों के प्रभाव से बचाया जा सके तथा जनसंख्या को न्यूनतम आवश्यक उपभोग स्तर प्राप्त करने में सहायता दी जा सके। इस प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न वितरण

सुनिश्चित कराने के लिए सरकार आवश्यक खाद्य वस्तुओं को व्यापारियों व उत्पादकों से न्यूनतम समर्थित मूल्यों पर खरीदती है और इन आवश्यक वस्तुओं का वितरण उचित दर की दुकानों और राशन की दुकानों के माध्यम से कराती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त इस प्रणाली द्वारा प्रयोग में आने वाले खाद्य तेल, चीनी, कोयला, मिट्टी का तेल तथा कपड़ों का वितरण भी किया जाता है। भारत में इस प्रणाली के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 16 करोड़ परिवारों को 30,000 करोड़ रूपये मूल्य की वस्तुएं वितरित की जाती हैं।[16]

रोज़गार नीति

देश की आजादी मिलने के बाद सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश का विकास करने के लिये सन् 1950 में योजना आयोग का गठन किया। योजना आयोग के गठन के बाद सरकार का ध्यान बेरोज़गारी की समस्या की ओर गया तथा इस समस्या पर विचार आरम्भ हुआ। इसके लिये सरकार ने प्रत्येक जिले मे रोज़गार कार्यालय खोला और बेरोज़गारों को उनकी योग्यता व कुशलता के अनुरूप रोज़गार देने पर बल दिया। योजना के प्रारम्भिक वर्षो में देश के विभाजन होने तथा संसाधनों की कमी के कारण उस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। सरकार ने बेरोज़गारी जैसी ज्वलन्त समस्या को कम करने और बेरोज़गारों को रोज़गार प्रदान करने के लिये पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से रोज़गार नीति का निर्माण कर रोज़गार सृजन पर बल दिया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) में सरकार का उद्देश्य प्रत्यक्ष रोज़गार के अवसरों का निर्माण न कराकर परोक्ष रूप से आर्थिक विकास के माध्यम से रोज़गार के अवसरों में वृद्धि करना था। इस योजना में सरकार ने ग्रामीण बेरोज़गारी को दूर करने के लिये विभिन्न विकास कार्यक्रम यथा सिचाई योजनाएं, भूमि संरक्षण एवं भूमि सुधार कार्यक्रम, ग्रामीण उद्योगों का विकास एवं पुनरुद्धार, बेकारी के महीनों में कुछ अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य, लघु तथा कुटीर उद्योगों के साथ बड़े उद्योगों की स्थापना, इत्यादि क्षेत्रों में नये रोज़गार उत्पन्न करने पर बल दिया। इस योजना के प्रथम पांच वर्षों में प्रतिवर्ष 17.7 लाख लोगों को रोज़गार प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।[19]

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61) में रोज़गार प्रदान करना आर्थिक विकास का एक विशेष उद्देश्य माना गया। इस योजना में भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के मुख्य कार्यक्रमों तथा रोज़गार नीति को अपनाया गया। इस योजना में तीव्र औद्योगीकरण तथा विनियोग पर अधिक बल दिया गया था ताकि अधिक रोज़गार का निर्माण किया जा सके। इस योजना में भी रोज़गार को उच्च प्राथमिकता नहीं दी गयी। यह योजना भी उद्योग प्रधान योजना थी इसमें भी पूंजी वृद्धि की तुलना में रोज़गार के अवसरों पर कम ध्यान दिया गया। विनियोग के सम्बन्ध में जितनी आशा थी उतना विनियोग न हो सकने के कारण वांछित संख्या में रोज़गार के अवसर उत्पन्न न हो सके। इस प्रकार बढ़ती विकास दर भी रोज़गार प्रदान करने के अपने लक्ष्यों को पाने में असफल रही तथा

पर्याप्त मात्रा में श्रम आधारित संसाधनों व तकनीक का विकास न होने के कारण बेरोज़गारी की समस्या बढ़ती गयी।[20]

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–1966) में रोज़गार की समस्या पर अधिक गम्भीरता पूर्वक विचार किया गया और इसे योजना का एक प्रमुख अंग माना गया। इस योजना में आर्थिक विकास के लिये ग्रामीण क्षेत्रों की अल्प–रोज़गार श्रम शक्ति के उपयोग पर बल दिया गया। तीसरी योजना अवधि में रोज़गार नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू, अल्प–रोज़गार की व्यवस्था विशेष रूप से खाली मौसम में की गयी। इस योजना में अतिरिक्त रोज़गार प्रदान करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिये उचित आर्थिक तथा अन्य नीतियों को समुचित रूप से कार्यान्वित करने तथा विभिन्न विकास कार्यक्रमों को पर्याप्त क्षमता के साथ पूरा करने पर जोर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिये इस योजना में 34 ग्रामीण 'पाइलेट' परियोजनाएँ चालू की गयीं, जिसमें लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण, जल निकासी, वानिकी, भूमि पुर्नग्रहण एवं सुधार, बाढ़ नियंत्रण आदि शामिल थे। लेकिन इन परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सका।[21] इस प्रकार से बढ़ती हुयी बेरोज़गारी तथा अल्प–बोरोज़गारी को कम करने में ग्रामीण कार्यक्रमों को बहुत कम सहयोग मिला।

चौथी पंचवर्षीय योजना (1969–74) में राज्यों व जिलों के द्वारा ग्रामीण परियोजनाओं के लिये एक सुनिश्चित नीति अपनाई गयी। इस योजना में यह अनुभव किया गया की ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रमों को आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने अनिर्वाह–क्षम छोटे किसानों, भूमि हीनों और ग्रामोद्योगों में लगे हुए अर्द्ध–बेकार कारीगरों के लिये, खास तौर पर असिंचित प्रदेशों और पिछड़े जिलों के लोगों के लिये विशेष कार्यक्रम शुरू किये। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम प्रधान बेरोज़गारों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार प्रदान करने के लिये बहुत से 'क्रैस' कार्यक्रम चलाये गये जैसे– लघु कृषक विकास अभिकरण (एस0एफ0डी0ए0), सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक (एम0एफ0ए0एल0), सूखा उन्मूलन या उन्मुख कार्यक्रम आदि।

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी की समस्या का अध्ययन करने के लिये भगवती समिति का गठन किया। समिति ने अपने अन्तिम रिपोर्ट में श्रम प्रधान तकनीकों पर आधारित रोज़गार निर्माण पर बल दिया। समिति ने कृषि विकास, सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, लघु सिंचाई, ग्रामोद्योग, उद्योगों का विकेन्द्रीकरण, ग्रामीण आवास के निर्माण पर व्यय करने का सुझाव दिया।[22] पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–1979) में पूर्व में निर्धारित कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के जीवन स्तर में सुधार करना था। इस योजना में श्रम प्रधान रोज़गार के अवसरों के प्रसार पर अधिक बल दिया गया। इस योजना में बेरोज़गारी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।[23] छठी पंचवर्षीय योजना (1980–1985) का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाना था। इस योजना में पहले बेरोज़गारी की समस्या को दूर करने के लिये कोई स्पष्ट रोज़गार नीति नहीं बनायी गयी। इस योजना से पूर्व काफी समय तक यह माना जा रहा था कि

आर्थिक संवृद्धि तथा आधारभूत संसाधनों के विकास से रोज़गार के अवसरों का स्वतः निर्माण हो जायेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दो दशकों तक अप्रत्यक्ष रूप से लघु एवं कुटीर, कृषि उद्योगों तथा आधारभूत संरचना में निवेश कार्यक्रमों पर अधिक जोर दिया गया जिससे पहले की बेरोज़गारी को दूर किया जा सके तथा नये लोगों को रोज़गार दिया जा सके। इस योजना में रोज़गार नीति के दो उद्देश्य रखे गये अल्प–रोज़गार में बड़े स्तर पर पायी जाने वाली समस्या का समाधान तथा दीर्घ कालीन बेरोज़गारी की समस्या को कम करना। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये यह माना गया कि रोज़गार–उन्मुख तीव्र आर्थिक विकास की आवश्यकता है। इस योजना में रोज़गार वृद्धि के कार्यक्रमों को सामुदायिक रूप में चलाया गया। इस योजना में निजी क्षेत्र में रोज़गार के अवसर बढ़ाने की नीति अपनाई गयी। इस नीति में कृषि, लघु व कुटीर उद्योगों तथा सहायक संसाधनों में स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करने पर बल दिया गया। इस योजना अवधि में सरकार ने रोज़गार प्रदान करने के लिये कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को शुरू किया। इसके अन्तर्गत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऑपरेशन फ्लड 2 डेरी प्रोजेक्ट, किस फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम, तथा ग्रामीण युवकों को स्वरोज़गार के लिये प्रशिक्षण योजना आदि।[24] सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–1990) में पहली पंचवर्षीय योजना में किये गये प्रावधानों को ही स्वीकार करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के बेरोज़गार युवकों को उत्पादक रोज़गार प्रदान करने के लिये, उत्पादन ढांचे में निवेश तथा अच्छी किस्म की तकनीकों के माध्यम से संगठनात्मक ढांचे को विकसित करने पर बल दिया गया। इस योजना में भी रोज़गार के अवसरों का निर्माण करने के लिये कृषि क्षेत्र को सबसे अधिक महत्व दिया गया। इस योजना में रोज़गार के अवसरों में वृद्धि करने के लिये मुख्य रूप से कृषि, ग्रामीण विकास, ग्रामीण लघु उद्योग, भवन निर्माण एवं अन्य सेवाओं के विस्तार पर बल दिया गया। इस योजना में सरकार ने ग्रामीण बेरोज़गारी को दूर करने के लिये ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को अपनाए जाने पर जोर दिया। इस योजना अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार–प्रदान करने के अलावा, वृहत पैमाने पर ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत मजदूरी तथा स्वरोज़गार कार्यक्रम चालू किये गये। इन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम, खेतिहर मजदूर रोज़गार कार्यक्रम तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि मुख्य थे। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जाति, जनजाति तथा खेतिहर मजदूरों को 50 से 100 दिनों का रोज़गार उपलब्ध कराने तथा 30 प्रतिशत् रोज़गार के अवसर स्त्रियों के लिये आरक्षित करने के उद्देश्य से सन् 1989–90 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम और खेतिहर मजदूर रोज़गार गारण्टी कार्यक्रम का विलय कर एक नयी जवाहर रोज़गार योजना का आरम्भ किया गया।[25]

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) में ग्रामीण क्षेत्र में पूरक रोज़गार प्रदान करने के लिये विशेष कार्यक्रमों को आधार बनाया गया। इस योजना अवधि में 10 लाख शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को उद्योग, सेवा तथा कारोबार के क्षेत्र में, रोज़गार प्रदान करने के लिये वर्ष 1993 में प्रधान मंत्री रोज़गार योजना व रोज़गार अश्वासन योजना को चालू किया गया। इस योजना में इस बात पर बल दिया गया कि श्रम आधारित रोज़गार कार्यक्रमों को और बढ़ाया

जाए ताकि आगे के वर्षों में रोज़गार की आवश्यकता को कम किया जा सके।[26] नवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) में ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार के अवसर बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया गया। इस योजना में पूर्व में संचालित रोज़गार कार्यक्रमों में संशोधन किया गया इसके तहत रोज़गार अश्वासन योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम को आपस में विलय करके वर्ष 2001 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना को चालू किया गया। इस योजना में 100 करोड़ मानव दिवस रोज़गार निर्माण का लक्ष्य रखा गया। इस योजना में रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिये कोई स्पष्ट नीति नहीं बनायी गयी। इस योजना में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर व्यय की जाने वाली धनराशि में कमी के कारण कृषि क्षेत्र में भी रोज़गार के अवसर कम हो गये थे।[27]

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) में बढ़ती हुयी श्रम शक्ति को ध्यान में रखते हुए कृषि, सिंचाई, कृषि वानिकी, छोटे और मझोले उद्यमों, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा अन्य सेवाओं जैसे रोज़गार की सम्भावना वाले अन्य क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों में वृद्धि की ओर विशेष ध्यान दिया गया। इस योजनावधि के दौरान 10 करोड़ रोज़गार पैदा करने का उद्देश्य रखा गया था। इस योजना में रोज़गार सृजन को ध्यान में रखकर पूर्व में संचालित कार्यक्रमों में संशोधन किया गया। इस योजना अवधि के दौरान 7 सितम्बर 2005 को संसद में एक अधिनियम पारित कर पूर्व में संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारण्टी कार्यक्रम, जवाहर रोज़गार योजना, सुनिश्चित रोज़गार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि, सम्पूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम आदि रोज़गार परक कार्यक्रमों को मिलाकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी अधिनियम, 2005 लागू किया गया जिसके अन्तर्गत नरेगा एवं स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोज़गार योजना संचालित की गयी। नरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत रोज़गार के लिये आवेदन करने वाले श्रमिकों को 15 दिन के अन्दर 100 दिन का रोज़गार देने तथा रोज़गार न मिलने की दशा में बेरोज़गारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया।[28]

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) में पिछले वर्षों की अपेक्षा रोज़गार के अवसरों के सृजन पर अधिक ध्यान देने की बात कही गयी है। इन योजना में रोज़गार के अवसरों में वृद्धि करने के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी कार्यक्रम को देश के सभी राज्यों के सभी जिलों में और मजबूती से लागू करने पर बल दिया गया। इस योजना में 5 करोड़ 80 लाख नये रोज़गार के अवसरों के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया।[29]

कृषि नीति

भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि होने के कारण देश की लगभग 65 से 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुयी है। भारत के आर्थिक विकास में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय आय के उत्पादन, रोज़गार, जीवन–यापन के साधन, औद्योगिक विकास, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आदि सभी क्षेत्रों में, कृषि देश का महत्वपूर्ण व्यवसाय है। सरकार ने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र का विकास करने की नीति अपनायी।

नयी राष्ट्रीय कृषि नीति 2007

सरकार ने किसानों और कृषि क्षेत्र के लिये कार्य–योजना का सुझाव देने के लिये वर्ष 2004 में डा0 एम0एस0 स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया तथा आयोग ने 13 अप्रैल 2006 को केन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें किसानों के लिये नयी कृषि नीति बनाने पर बल दिया गया था। नयी कृषि नीति के अन्तर्गत किसानों के सभी कृषिगत उपजों के लिये समर्थन मूल्य घोषित करने, सूखे एवं ओले सम्बन्धी जोखिमों से बचाव के लिये कृषि जोखिम कोष की स्थापना, किसान आयोग के गठन, किसानों के लिये बीमा योजनाओं के विस्तार इत्यादि पर विशेष बल दिया गया।[41]

उत्तर प्रदेश सरकार की कृषि नीति 2005

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 4 प्रतिशत कृषि विकास दर प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में कृषि नीति की घोषणा की। जिसमें कृषि प्रसार, सिंचाई एवं जल प्रबन्ध, मृदा संरक्षण एवं उर्वरता, बीज प्रबन्धन, विपणन, मशीनीकरण एवं शोध तथा कृषि विविधिकरण से सम्बन्धित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर बल दिया गया। इसके साथ ही अतिरिक्त रोज़गार के अवसर का सृजन, घरेलू आय में वृद्धि तथा गरीबी कम करने के लिये कृषि पद्धतियों का विविधिकरण, ग्रामीण अवस्थापन हेतु सुविधाओं का विस्तार, कृषि विकास कार्यक्रमों में भागीदारी करते हुए ग्रामीण निर्धनों के हितों की सुरक्षा पर जोर दिया गया।[42]

स्वास्थ्य नीति

स्वास्थ्य राष्ट्र की प्रगति एवं सफलता का प्रतीक है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उस देश की शारीरिक तथा मानसिक प्रवृत्ति के विकास का परिचायक है। राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के सन्दर्भ में विशेष रूप से सुधारों के उत्तरोत्तर काल में नीचे स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित आधारभूत ढाँचे के विकास की संकल्पना सन् 1946 में गठित स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा विकास समिति (भोरे समिति) की रिपोर्ट पर आधारित है। समिति ने जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने का सुझाव दिया। जिसके आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को लागू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। विगत 100 वर्षों में सरकार स्वास्थ्य प्रणाली के विभिन्न आयामों में व्यापक परिवर्तन किये गये। सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में महामारी एवं संक्रामक रोगों की वृद्धि को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के सम्बन्ध में अनेक नीतियां बनाती एवं परिवर्तित करती रही हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य नीति

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सभी लोगों को उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक एक लाख जनसंख्या पर 30 शैय्या का एक मुख्य स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की नीति पर बल दिया गया है।

जिसके आधारभूत उपकरणों, वेतन आदि पर लगभग 20 लाख रूपये व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये 308 मुख्य स्वास्थ्य केन्द्र खोलने पर जोर दिया गया है। इन स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से 6 विशेष प्रकार की सेवाएं प्रदान कराने के उद्देश्य से फिजिशियन, सर्जन, गाइनेकोलाजिस्ट, डेन्टल डॉक्टर, पैथोलाजिस्ट की नियुक्ति पर बल दिया गया। दूसरी ओर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 4 शैय्या वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने पर बल दिया गया है। सुरक्षित प्रसव व शिशु एवं महिलाओं को सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में महिला अस्पताल खोलने पर बल दिया गया है। वर्तमान समय में 5000 गांवों में 20,000 उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने पर जोर दिया गया। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से प्रदेश के प्रत्येक जनपद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किये जाने पर जोर दिया गया है। इन कार्यक्रमों में परिवार नियोजन, मलेरिया उन्मूलन, एड्स नियंत्रण, फाइलेरिया उन्मूलन, अन्धता निवारण, घेंघा रोग को उपचार हेतु लागू किया गया।[47]

शिक्षा नीति

शिक्षा राष्ट्र के भौविष्य निर्माण का अनुपम साधन है, शिक्षा ही मानव को सुसंस्कृत एवं सभ्य बनाकर एक सुन्दर आदर्श समाज का निर्माण करती है, जिससे देश के संविधान की धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों की प्राप्ति में मार्गदर्शक एवं सहायता होती है। शिक्षा बौद्धिक सम्पन्नता एवं राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की आधारशिला है। व्यक्ति और समाज के चतुर्मुखी विकास के लिये शिक्षा की भूमिका निर्विवाद है। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा केन्द्र एवं राज्यों की साझा जिम्मेदारी बन गयी है। अब शिक्षा प्रणाली और उसके ढांचे के विषय में नीति निर्माण का कार्य आमतौर पर राज्य ही करते हैं, लेकिन शिक्षा के स्वरूप और गुणवत्ता के निर्धारक का दायित्व स्पष्ट रूप से केन्द्र सरकार का है। नीति निर्धारण के अलावा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग शैक्षिक आयोजन की जिम्मेदारी राज्यों के साथ मिलकर करता है। आजादी के पूर्व एवं इसके बाद की विभिन्न सरकारें शिक्षा के सम्बन्ध में उचित नीतियों का निर्माण एवं उसमें समय–समय पर आवश्यक संशोधन करती रही हैं। भारत में शिक्षा के प्रति रूझान प्राचीन काल से ही देखने को मिलता है। प्राचीन काल में गुरूकुलों, आश्रमों तथा बौद्ध मठों में शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था होती थी। मध्य काल में शिक्षा मदरसों में दी जाती थी।

सन्दर्भ–

1– भारत सरकार, योजना आयोग, 1993, पृष्ठ–25।

2– भारत सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण, 1997–98, पृष्ठ–148।

3– भारत सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण, 1998–99, पृष्ठ–153।

4— भारत सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण, 2000—01, पृष्ठ—203।

5— भारत सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण, 1999—02, पृष्ठ—178।

6— भारत सरकार, योजना आयोग, प्रथम पंचवर्षीय योजना, 1951—56, पृष्ठ—598—605।

7— भारत सरकार, योजना आयोग, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 1956—61, पृष्ठ—551।

8— भारत सरकार, योजना आयोग, तृतीय पंचवर्षीय योजना, 1961—66, पृष्ठ—699।

9— भारत सरकार, योजना आयोग, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, 1969—74, पृष्ठ—403—404।

10— भारत सरकार, योजना आयोग, पांचवी पंचवर्षीय योजना, 1974—79, पृष्ठ—281।

11— भारत सरकार, योजना आयोग, छठी पंचवर्षीय योजना, 1980—85, पृष्ठ—391।

12— भारत सरकार, योजना आयोग, सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985—90, पृष्ठ—294—295।

13— भारत सरकार, योजना आयोग, 1993—94, पृष्ठ—155।

14— भारत सरकार, योजना आयोग, नवीं पंचवर्षीय योजना, 1997—2002, पृष्ठ—282—283।

15— भारत सरकार, योजना आयोग, दसवीं पंचवर्षीय योजना, भाग—2 पृष्ठ—299।

16— भारत सरकार, योजना आयोग, दसवीं पंचवर्षीय योजना, 2002—07, भाग—2, पृष्ठ—367।

17— भारत सन्दर्भ, भारत सरकार, सूचना प्रसारण मंत्रालय, 2006, पृष्ठ—364।

18— मार्ग निर्देशिका, उत्तर प्रदेश सरकार, खाद्य एवं रसद विभाग, 2007, पृष्ठ—44—45।

19— भारत सरकार, योजना आयोग, पहली पंचवर्षीय योजना, 1951—56, भाग—1, पृष्ठ—52।

20— भारत सरकार, योजना आयोग, दूसरी पंचवर्षीय योजना, 1956—61, भाग—1, पृष्ठ—118—119।

21— भारत सरकार, योजना आयोग, तीसरी पंचवर्षीय योजना, 1961—66, भाग—1, पृष्ठ—10—11।

22— भारत सरकार, योजना आयोग, चौथी पंचवर्षीय योजना, 1969—74, पृष्ठ—111—112।

23— भारत सरकार, योजना आयोग, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, 1974—79, पृष्ठ संख्या 2—3।

24— भारत सरकार, योजना आयोग, छठी पंचवर्षीय योजना, 1980—85, भाग—2, पृष्ठ—207।

25— भारत सरकार, योजना आयोग, सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985—90, भाग—2, पृष्ठ—112।

26— भारत सरकार, योजना आयोग, आठवीं पंचवर्षीय योजना, 1992—97, भाग—1, पृष्ठ—120।

27— भारत सरकार, योजना आयोग, नवीं पंचवर्षीय योजना, 1997—02, भाग—1, पृष्ठ—120।

28— भारत सरकार, योजना आयोग, दसवीं पंचवर्षीय योजना, 2002—07, भाग—1, पृष्ठ संख्या 1—3।

29— भारत सरकार, योजना आयोग, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, (2007—45), भाग—1 व 2 पृष्ठ—79—81।

30— भारत सरकार, योजना आयोग, प्रथम पंचवर्षीय योजना, 1951—56, भाग—2, पृष्ठ—242।

31— भारत सरकार, योजना आयोग, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 1956—61, भाग—2, पृष्ठ—118।

32— भारत सरकार, योजना आयोग, तीसरी पंचवर्षीय योजना, 1961—66, पृष्ठ—260,

33— भारत सरकार, योजना आयोग, चौथी पंचवर्षीय योजना, 1969—74, भाग—3, पृष्ठ—151।

34— भारत सरकार, योजना आयोग, छठी पंचवर्षीय योजना, 1980—85, भाग—2, पृष्ठ—230।

35— भारत सरकार, योजना आयोग, सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985—90, भाग—1, पृष्ठ—6।

36— भारत सरकार, योजना आयोग, आठवीं पंचवर्षीय योजना, 1992—97, भाग—1, पृष्ठ—45।

37— भारत सरकार, योजना आयोग, नवीं पंचवर्षीय योजना, 1997—02, भाग—1, पृष्ठ—38।

38— भारत सरकार, योजना आयोग, दसवीं पंचवर्षीय योजना, 2002—07, भाग—1, पृष्ठ—36।

39— भारत सरकार, योजना आयोग, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, 2007—2012, भाग—1, पृष्ठ—98।

40— भारत सरकार, राष्ट्रीय कृषि नीति, 2000, पृष्ठ—169।

41— भारत सरकार आर्थिक सर्वेक्षण, 2007—08, पृष्ठ—169।

42– http://agriculture.up.nic.in/pravash.htm

43– भारत सन्दर्भ, भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय 2007, पृष्ठ–386।

44– भारत सन्दर्भ, भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय 2007, पृष्ठ–388।

45– भारत सन्दर्भ, भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय 2007, पृष्ठ–390–91।

46– राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 2000 पृष्ठ–46।

47– प्रगति रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, 2006, पृष्ठ–62।

48– भारत सन्दर्भ, भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय 2005–06, पृष्ठ–210–212।

49– भारत सन्दर्भ, भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय 2006, पृष्ठ–220–221।

50– शिक्षा नीति, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2000, पृष्ठ–182।

51– भारत सरकार, योजना आयोग, नवीं पंचवर्षीय योजना, 1997–02, पृष्ठ–180–181।